संख्या– 438/तीस–4–2022

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022

विषयः मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–173/तीस–4–2022, दिनांक 27.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27.01.2022 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों/चुनौतियों के दृष्टिगत शासन को अपेक्षित बिन्दुओं पर संस्तुति सहित सुस्पष्ट आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु की गयी अपेक्षानुक्रम में आपके कार्यालय आदेश सं0–36(जी0)प्रावि0/2022–44प्रावि0/2021, दिनांक 16.03.2022 द्वारा समिति गठित की गयी। उक्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2022 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

3– समिति की आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश सं0–173/तीस–4–2022, दिनांक 27.01.2022 के प्रस्तर–2 के बिन्दु (2) व (5) में उल्लिखित निर्देश को निम्नवत संशोधित/परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

प्रस्तर–2 (2) उक्त नियमावली के नियम 5 में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के लिए पात्रता की शर्तें प्राविधानित की गयी है। इन शर्तों के अतिरिक्त आवेदक के चरित्र के संबंध में (पब्लिक लि0 कम्पनी को छोड़कर) व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/ट्रस्ट के प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक का जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं संबंधित आवेदक द्वारा रू0 100/– (रु0 एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर में इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि संबंधित व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संस्था/ट्रस्ट को किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी प्रकरण में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

परन्तु, ऐसे आवेदक– कंपनियों, जिनके प्रबन्धक/निदेशक विदेशी नागरिक है द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र के स्थान पर प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक का स्वघोषित चरित्र प्रमाण पत्र प्रारूप A-1 (संलग्नक–1) पर प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तर–2 (5) आवेदक के पास एल श्रेणी हेतु 01 एकड़ तथा सभी प्रकार के वाहनों अर्थात एल, एम, एन व अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग/रिसाइकिलिंग हेतु न्यूनतम 02 एकड़ की भूमि और वाहनों के मुख्य मार्ग से स्क्रैपिंग यार्ड में प्रवेश व परिसर में निर्बाध संचरण हेतु मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 7 मीटर होनी चाहिए।

4– कृपया शासनादेश सं0–173/तीस–4–2022, दिनांक 27.01.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा तदनुसार मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 1–संसदीय मार्ग, नई दिल्ली को उनके ई–पत्र दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।